न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 11/2023 (GCMS NO.2023/78)

प्रार्थी/परिवादी	बनाम	अप्रार्थी/गैरसायल–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर		1. श्रवण पुत्र कुम्भाराम जाति पटेल, (मैसर्स महादेव ट्रेडिंग कम्पनी, कृषि उपज मण्डी, बालोतरा फर्म मालिक) 2. वीराराम चौधरी प्रो. ऑफ चन्द्र प्रकाश ट्रैडिंग कम्पनी, कृषि उपज मण्डी, बालोतरा 3. ओम प्रकाश शर्मा, प्रोत्र ऑफ सयम ट्रैडिंग कम्पनी, इण्डिस्ट्रियल एरिया, जोधपुर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. श्री अभियोजन अधिकारी, बाड़मेर प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. ओम प्रकाश शर्मा, प्रोपराईटर ऑफ सयम ट्रैडिंग कम्पनी, इण्डिस्ट्रियल एरिया, जोधपुर अप्रार्थी संख्या 03 स्वयं उपस्थित।

–:आदेश:–

दिनांक:– 31.07.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(पप) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि **अप्रार्थी संख्या** 01 की फर्म मैसर्स महादेव ट्रैडिंग कम्पनी, कृषि उपज मण्डी, बालोतरा पर निरीक्षण **दिनांक** 03.01.2022 के दौरान विक्रय हेतु रखे हुए **खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड धेनू श्री (15 किलो का टीन)** में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार **कुल 02 किलो** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1479** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त **खाद्य पदार्थ घी**

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

ब्राण्ड धेनू श्री (15 किलो का टीन) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त **खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड धेनू श्री** का नमूना जांच उपरांत रिपोर्ट L.S./57/Act/2022/176 **दिनांक** 01.02.2022 में उक्त नमूना (Due to Foreign Fat and Misbranded) पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(पप) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की **धारा 52** के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। **अप्रार्थी संख्या** 03 खाद्य पदार्थ निर्माता स्वयं उपस्थित। **अप्रार्थीगण** को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है।

3. हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। **अप्रार्थीगण** द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। **अप्रार्थी संख्या** 01 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत रिपोर्ट L.S./57/Act/2022/176 **दिनांक** 01.02.2022 में उक्त नमूना (Due to Foreign Fat and Misbranded) पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत हाने पर **अप्रार्थीगण** को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से **अप्रार्थी संख्या** 03 दौरान सुनवाई स्वयं उपस्थित हुए तथा प्रकट किया कि **अप्रार्थी संख्या** 01 की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने में पाई गई मिलावट भूल वश हुई है और भविष्य में इस तरह की भूल दोहराई नहीं जायेगी। **अप्रार्थी संख्या** 01 द्वारा उक्त नमूना (Due to Foreign Fat and Misbranded) पाये जाने के लिए प्रथम अपराध मानते हुए नरम रूख अपनाये जाने का निवेदन किया गया। इस प्रकार **अप्रार्थी संख्या** 01 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना (Due to Foreign Fat and Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा (राज.)

प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 पर संयुक्त रूप से रुपये **75,000/- अक्षरे पिचहत्तर हजार रूपये** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नानू राम सैनी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बालोतरा
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा